v/;k; & ikp

vu|dik fu;|fDr d| i|dj.k

राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार सामान्यतः अनुकंपा नियुक्ति तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अकार्यपालिक पदों पर ही दी जाना चाहिये । विशेष तकनीकी अर्हताधारी व्यक्ति के मामले में निम्न श्रेणी लिपिक से उच्च वेतनमान के पद पर नियुक्ति विभागाध्यक्ष के आदेश से ही दी जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने की मंशा से नियमों को शिथिल किया जाना अनुचित होगा ।

2/ प्रतिवेदनाधीन वर्ष में अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु ऐसे पदों को आयोग के क्षेत्राधिकार से अपवर्जित करने का एक भी प्रस्ताव आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है।